

विहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

पत्रांक:
प्रेषक,

यो0ब02/1-10/2025-239 स्वी/यो0वि0,पटना,दिनांक 09 मार्च, 2026

मयंक वरवडे,
प्रधान सचिव,

सेवा में,

अनीपचारिक रूप से
परामर्शित

द्वारा:-

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
वीरचन्द पटेल पथ,बिहार, पटना।
वित्त विभाग, बिहार, पटना।

विषय:

वित्तीय वर्ष 2025-26 में माँग सं0-35 के विपत्र कोड-35-2052000900010 के विषय शीर्ष 1301-कार्यालय व्यय में एवं विपत्र कोड-35-2052000900012 के विषय शीर्ष 1301-कार्यालय व्यय में कुल ₹ 45,00,000/- (पैंतालीस लाख) रुपये राशि के पुनर्विनियोग से प्राप्त राशि की स्वीकृति।


आदेश:

बिहार वित्तीय नियमावली भाग (I) के नियम-489 के अनुपालन में स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में विपत्र कोड-35-2053000940007 के विषय शीर्ष 1302-वाहन का ईंधन एवं रखरखाव में कुल ₹ 45,00,000/- (पैंतालीस लाख) रुपये राशि की बचत होने के फलस्वरूप, विपत्र कोड-35-2052000900010 के विषय शीर्ष 1301-कार्यालय व्यय में ₹ 40,00,000/- (चालीस लाख) एवं विपत्र कोड-35-2052000900012 के विषय शीर्ष 1301-कार्यालय व्यय में ₹ 5,00,000/- (पांच लाख) अर्थात् कुल ₹ 45,00,000/- (पैंतालीस लाख) रुपये राशि संलग्न पशिष्टि-1 के अनुसार पुनर्विनियोग से प्राप्त राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

अनुलग्नक : यथोक्त।



(मयंक वरवडे)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक:
प्रतिलिपि:

यो0ब02/1-10/2025-239 स्वी/यो0वि0,पटना,दिनांक 09 मार्च, 2026

(1) वित्त विभाग, बजट शाखा/ससूचन शाखा, बिहार, पटना।

आई0टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस स्वीकृति को विभाग के साईट पर अपलोड कर दें।


प्रधान सचिव
योजना एवं विकास विभाग
बिहार, पटना

621) 2180d107192